पत्रांक :–DHEsec3/आवंटन-निदेशालय-1/2020/HTESD/ – 61/१७५

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्शित

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0–हिनू, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 22/05/2025

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में उच्च शिक्षा निदेशालय (मुख्यालय) के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य स्कीम व्यय अंतर्गत रू0 3,00,00,000/– (तीन करोड़ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

प्रसंगः– वित्त विभाग का पत्रांक 338/बजट दि0 28.03.2025

आदेश :– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग का पत्रांक 338/बजट दि0 28.03.2025 द्वारा उपबंधित बजट प्रावधान के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के अंतर्गत उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन उच्च शिक्षा प्रभाग के लिए निदेशालय का सृदृढ़ीकरण मद में रू0 3,00,00,000/– (तीन करोड़ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष–001– निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष–BH–निदेशालय का सृदृढ़ीकरण (स्कीम कोड–1776) के अंतर्गत निम्नवत् ईकाईवार एवं शीर्षवार की जायेगी –

विस्तृत शीर्ष	ईकाई	विपत्र कोड	स्वीकृत राशि
01–वेतन एवं भत्ते			
	08– संविदा भत्ता	21S220203001BH000108	12,00,000=00
03–प्रषासनिक व्यय			
	15–कार्यालय व्यय	21S220203001BH000315	5,00,000=00
	17– कार्यालय उपकरण	21S220203001BH000317	4,00,000=00
	21–सेमिनार/समारोह/कार्यशाला	21S220203001BH000321	1,00,000=00
	23–आपूर्ति एवं सामग्री	21S220203001BH000323	1,15,000=00
	29–व्यावसायिक सेवाएँ	21S220203001BH000329	31,56,000=00
	31– परामर्शी शुल्क	21S220203001BH000331	2,00,00,000=00
	33–दूरभाष	21S220203001BH000333	29,000=00
04–मोटरगाड़ियाँ/ईंधन			
	41–मोटर वाहन	21S220203001BH000441	15,00,000=00
07–अन्य व्यय			
	60–विधि प्रभार	21S220203001BH000760	30,00,000=00
	कुल योग –		**3,00,00,000=00**

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो प्राप्त विपत्र के आलोक में सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी एवं भुगतान करेंगे।

4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक–21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

5. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में की जायेगी। साथ ही राशि की निकासी हेतु योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग एवं अपवर्त्तन नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

9. प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

22/5/25

(जॉर्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–DHEsec3/आवंटन-निदेशालय-1/2020/HTESD 61/945/रॉची, दिनांक– 22/05/2025

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/5/25

(जार्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–DHEsec3/आवंटन-निदेशालय-1/2020/HTESD 61/945/रॉची, दिनांक– 22/05/2025

प्रतिलिपि –विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/5/25

(जार्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।